रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 1986/कार्तिक 29, 1908
No. 541] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 20, 1986/KARTIKA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

सं 454/86—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 1218(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 55/76—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

और समीचीन है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 24.02 के अंतर्गत आने वाले सिगार और चुरुट को, जब तक ऐसे सिगार और चुरुट को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से छूट देता है।

[एफ. सं. 213/53/86—सी एक्स—6]
के. सी. सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th November, 1986

NOTIFICATION

No. 454|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1218 (E) :—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 55|76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, the Central Government being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said rules, cigars and cheroots, falling under heading No. 24.02 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), so long as such cigars and cheroots remain exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

[F. No. 213|53|86-CX.6]
K. C. SINGH, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986